20-4-23 वकील वादी द्वारा एक प्रार्थना प्रस्तुत किये जाने से पत्रावली सिगह से तलब की गई। प्रस्तुत प्रा० पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत प्रा० पत्र मे निवेदन किया कि प्रार्थी एव विपक्षीगण के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है। प्रार्थी इस प्रकरण मे विपक्षीगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही चाहता है। अतः प्रकरण इसी स्तर पर डीप फरमाया जावे।

मैने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायहित मे वकील वादी का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाता है। वादी, प्रतिवादीगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने से एव आपसी राजीनामा हो जाने से प्रकरण इसी स्तर पर डीप किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2023.12.28 13:51:59 IST
Reason: SelfAttested